राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1070/2012/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत–पंचम, जयपुर ....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अल्का कॉरपोरेशन,
एफ–08 व 9–ए, प्रथम तल, रायसर प्लाजा, जयपुर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
अनुपस्थित प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22/5/17

निर्णय

अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 147/अपील्स–III/11–12/एफ में पारित आदेश दिनांक 08.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–पंचम, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 18, 25, 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत रुपये 66,06,806/–मांग सृजित की गई है। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी ने वर्ष 2007–08 के दौरान की गई खरीद का सत्यापन वा.क.अ. विशेष वृत–प्रथम, जयपुर से कराया गया। जिसके क्रम में वा.क.अ. विशेष वृत–प्रथम, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 1465 दिनांक 06.01.2011 के द्वारा सूचित किया गया कि आई.टी. सी. सत्यापन हेतु लिखे गये पत्र के साथ संलग्न वैट–07 में अंकित संव्यवहार इस वृत के पंजीकृत व्यवहारी मैसर्स रेडिगंटन इण्डिया लिमिटेड, जयपुर टिन नं. 08551756532 द्वारा प्रस्तुत वैट–08–09 से कुछ संव्यवहार वैट–07 में अंकित संव्यवहारों के आगे अंकित हरी स्याही से अंकित राशि के अनुसार तथा शेष संव्यवहार यथावत होना सत्यापित होता है। इस प्रकार मैसर्स अल्का कारपोरेशन द्वारा वर्ष 2007–08 में प्रस्तुत तिमाही विवरणियों के साथ संलग्न प्रपत्र वैट–07 में अंकित मैसर्स रेडिगंटन लिमिटेड,

जयपुर से कर गई खरीद का सत्यापन मैसर्स रेडिगंटन लि. जयपुर द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय विशेष वृत प्रथम जयपुर में प्रस्तुत किये गये विवरणियों में संलग्न बिक्री प्रपत्र वैट–08–09 से होना नहीं पाया गया तथा वा.क.अ. विशेष वृत–प्रथम, जयपुर द्वारा संलग्न सूची वैट–07 में हरी स्याही से मैसर्स रेडिंगटन इण्डिया लिमिटेड द्वारा मैसर्स अल्का कारपोरेशन को उपरोक्त वर्णित बिलों से विक्रय की गई राशि व उस पर वसूल किये गये कर की बिक्री विवरणियों में दर्शायी गई राशि को भी अंकित किया गया है। जिसको कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पृथक से असत्यापित एवं उचन्त विक्रय/खरीद को वैट इन्वाइस वाइज सूचीबद्ध किया जाकर सूची में वर्णित असत्यापित आगत कर एवं उचन्त खरीद का प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स रेडिगंटन लिमिटेड से की गई खरीद में उपरोक्त वर्णित असत्यापित हुये संव्यवहारों एवं क्रय किये गये माल के मूल खरीद बिलों के सत्यापन हेतु कारण बताओ नोटिस अधिनियम धारा 18, 55, 61 के तहत वास्ते पेशी दिनांक 31.01.2011 के लिए जारी किया गया। नोटिस के जवाब में फर्म मैनेजर द्वारा प्रस्तुत खरीद बिल एवं प्राप्त सत्यापन फार्म के अनुसार रुपये 78,19,165/– में से 11,95,232/– का सत्यापन नहीं होता है। अतः गलत एवं दोषपूर्ण बिलों द्वारा दर्शायी गई खरीद पर आई.टी.सी. का गलत तरीके से समायोजन लिया गया है। अतः करापवंचन का अभियोग बनाकर अधिनियम की धारा 25, 55, 61 तथा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रुपये 66,06,806/– की मांग सृजित की गई। उक्त मांग राशि के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होनें अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.11.2011 पारित करते हुए अपील आंशिक रुप से स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है। उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष पेश की गई है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स, शास्ति व ब्याज को निरस्त करने में विधिक भूल की गई है। उनका कथन है कि विक्रेता व्यवसायी द्वारा जो बिक्री की गई है वह लेखा पुस्तकों में नहीं पाई गई है। इसके संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस दिये जाने पर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न होने के कारण आई टी सी खारिज की गई है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 18(ए)(जी) के अनुसार हीं ITC देय है उनका कथन है कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों के अनुसार ही ब्याज व शास्ति आरोपित की गई है, जिसकी अनदेखी करते हुए अपीलीय अधिकारी ने विक्रेता फर्म के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 30.08.2011 की अनुलग्नक

सूची संख्या 1 से 400 तक के संव्यवहारों की सक्षम अधिकारी से जांच/ सत्यापन तथा विधिक संव्यवहार विधिअनुकूल तथा सत्यता प्रमाणित पाये जाने व कर जमा की सुनिश्चितता का सत्यापन पाये जाये तो ऐसे संव्यवहारों की क्रय पर विधिजन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का परिलाभ स्वीकृत किया जावें, अन्यथा पाये जाने पर पुनः करारोपण करने के निर्देश देते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है, जो अनुचित व अविधिक होने से अपास्तनीय है उन्होनें उक्त कथन के आधार पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

बावजूद सुचना के अपील सुनवाई के समय प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। अतः विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर विचार करते हुए एकतरफा निर्णय पारित जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गई, उपलब्ध रेकार्ड एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स रेडीगंटन इण्डिया लि. से की की गई खरीद उसकी नियमित लेखा पुस्तकों से सत्यापित नहीं होने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा की गई उचन्त खरीद की गई है, जिससे यह माना गया कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा बोगस इनवाइस से माल क्रय किया जाकर आगत कर का समायोजन लिया गया है व अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के विरुद्ध है। अधिनियम की धारा 18(3)V में व्यवहारी को अपनी खरीद संव्यवहार का सत्यापन सिद्ध करने का उतरदायित्व है, जिसमें व्यवहारी इसमें असफल रहा है। साथ ही कार्यालय द्वारा जांच करवाये जाने पर भी व्यवहारी द्वारा खरीद पर अदा किये गये कर इनपुट टैक्स का सत्यापन नहीं होना पाया गया। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा कुल रुपये 7150665/– की खरीद पर रुपये 893833/– की दर्शायी वैट राशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट False & Forged VAT Invoice के आधार पर गलत तरीके से Availed करना प्रमाणित होता है एवं व्यवहारी की करापवंचन की दोषी मनोदशा सिद्ध होती है। राशि रुपये 7150665/– पर अधिनियम की धारा 25, 26, 55 एवं 61(2)(a) के तहत आगत कर रुपये 8,93,833/– को रिवर्स करते हुए कर की चार गुणा शास्ति व ब्याज आरोपित किया जाता है। प्रति सत्यापन जांच में वा.क.अ. विशेष वृत से प्राप्त वर्ष 2007–08 की ITC सत्यापन पर मैसर्स रेडिगंटन इण्डिया प्रा.लि. ने विभिन्न तरीकों में रुपये 8201719/–की बिक्री दर्शायी गई है, जिस पर वैट राशि रुपये 498982 बनती है। व्यवहारी द्वारा उक्त खरीद को अपनी प्रस्तुत विवरणियों वैट–07 में दर्ज नहीं किया है। इस बाबत् व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अपनी समस्त खरीद को पूर्णतया वैधानिक मानते हुये लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा कराये गये सत्यापन में मैसर्स रेडिगंटन इण्डिया लि. द्वारा मैसर्स अलका कारपोरेशन को की गई बिक्री संव्यवहारों की तालिका में यह स्पष्ट रुप से प्रमाणित है

कि समान बिल एवं दिनांक जो कि मैसर्स रेडिगंटन द्वारा जारी किये गये विक्रय की राशि, कर राशि खरीददार मैसर्स अल्का कारपोरेशन के वैट–07 की घोषित खरीद राशि कर राशि से भिन्न है। व्यवहारी द्वारा उक्त खरीद को अपनी विवरणियों में दर्ज नहीं किया गया है। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा खरीद का जमा खर्च नहीं होना पाये जाने पर यह खरीद करापवंचित खरीद होना प्रमाणित होता है, इसलिए अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज एवं 61(1) के तहत कर की दुगनी शास्ति आरोपित की गई है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकार से मांग सृजित करने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है,जिसकी पालना में प्रस्तुत जवाब एवं उपलब्ध रिकॉर्ड/दस्तावेजों की जांच कराने पर प्रकाश में आया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स रेडिंग्टन इण्डिया लिमिटेड से की गई खरीद की घोषणा द्वारा वैट–07 में की गई है तथा वैट–07 में इन्द्राजित संव्यवहारों का मिलान व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत इनवाईस से करने पर मिलान होता है किन्तु वैट–07 के सत्यापन पर पाया गया कि जिन वैट इनवाईस संख्या से खरीद दर्शाई है उनका सत्यापन मैसर्स रेडिंग्टन इण्डिया लिमिटेड के वैट–08 एवं वैट–09 से सत्यापित नहीं होती है। उक्त तथ्यों के आधार पर जांच अधिकारी द्वारा उचन्त खरीद को सूचीबद्ध किया जाकर तालिका बनायी गयी है । जांच अधिकारी द्वारा तैयार की गई तालिका से व्यवहारी केता अर्थात् प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जिन इनवाई से माल कय किया है वह असत्यापित पाये गये है। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा खरीद पर अदा किये गये कर, इनपुट टैक्स का सत्यापन होना नहीं पाये जाने पर व्यवहारी द्वारा कुल रू. 71,50,665/– की खरीद पर रू. 8,93,833/–की दर्शायी वैट राशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट असत्य एवं फर्जी वैट इनवाईस के आधार पर गलत तरीके लेना प्रमाणित होता है, जिससे प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवचंन की दोषी मानसिकता सिद्ध होती है। इसलिए आगत कर रू. 8,93,833/–को रिवर्स करते हुए कर की चार गुना शास्ति एवं उक्त कर राशि अदेय होने से उस पर ब्याज आरोपित किया गया है।

इसी प्रकार आलोच्य वर्ष 2007–08 की आई टी सी सत्यापन पर मैसर्स रेडिंग्टन इण्डिया लिमिटेड ने विभिन्न तारीखों में रू. 82,01,719/–की बिकी दर्शायी है जिस पर वैट राशि रू. 4,98,932/–बनती है, किन्तु उक्त खरीद को प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिकी विवरणियों वैट–07 में दर्ज नहीं किया गया है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त निष्कर्ष उनके समक्ष प्रस्तुत दिये गये दस्तावेजों का प्रत्यर्थी व्यवहारी के उपलब्ध दस्तावेजों के जांच पर दिया है, जिसके खण्डन के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय स्तर पर कोई दस्तावेजीय

साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उक्त निष्कर्ष के पश्चात अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के प्रतिप्रेषित किया जाना उचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अधिनियम की धारा 18 प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि क्रेता व्यवहारी द्वारा अदा किये गये कर को विक्रेता व्यवहारी द्वारा राजकोष में जमा कराने पर ही आई टी सी अनुज्ञेय है,जिसका हस्तगत प्रकरण में अभाव है। जिसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल रखते हुए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष